

पंजीयन क्रमांक...1215/12...

दिनांक...01-08-2012...

डिस्पेच नं.1182.....

दिनांक...01-08-2012.....

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र



सत्यमेव जयते

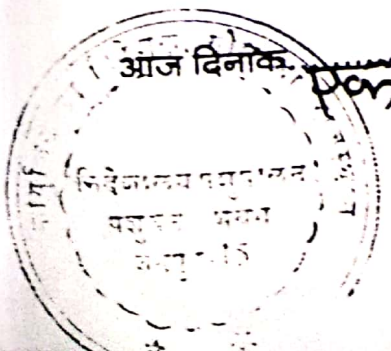
कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर

श्री मोहम्मद गोशाला सूजमो की दागी
ग्राम चाँधन पोस्ट चाँधन तहसील जसलमेर
जिला जसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री श्री बचल रवौ (अध्यक्ष) न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला

श्री मोहम्मद गोशाला ने राजस्थान गोशाला

अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् मैं सन्तुष्ट हो गया हूँ कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।



माह...अगस्त...

वर्ष...2012...

उपनिदेशक गोशाला, जयपुर

पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवम् उपनिदेशक
गोशाला, राजस्थान, जयपुर

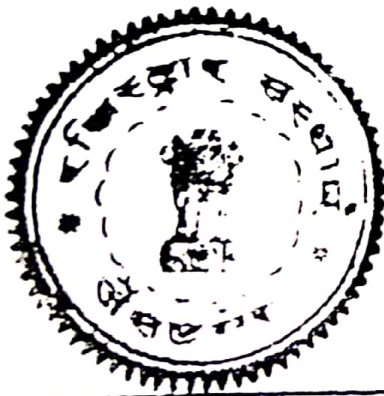


रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

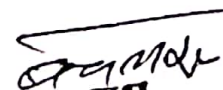
क्रमांक.....-52/जैसल/2056-2057..

यह प्रमाणित किया जाता है कि सुजिया विस्थापन संस्थान सुजियों की ढाणी जिला जैसलमेर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक.....शुक्रवार.....माह.....दिसम्बर.....सन् दो हजार.....को जैसलमेर में दिया गया ।



रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर


अध्यक्ष
मोहम्मद गौराला सुजियों की ढाणी
चांदन